संख्या-12/2015/221/84-1-15-18बामा/2012

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 27 मार्च, 2015

विषय- राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-64/निविमावि-लेखा-7(25)मॉग/2014-15, दिनॉक 23.02.2015 एवं संख्या-81/निविमावि-लेखा-7(25)मॉग/2014-15, दिनॉक 04.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान विभाग में राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन की स्थापना एवं संचालन हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 3,80,000/- (तीन लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र को व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियम-03-अधिष्ठान व्यय-03-महगाई भत्ता से पुनर्विनियोग कर लेखाशीर्ष-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियम-04-राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन के अन्तर्गत-02-मजदूरी में रू0 3,80,000/-(तीन लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग कर वहन की जायेगी।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का अन्य मदों में व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7/275/दस-2015, दिनॉक 27 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

कुलदीप कुमार रस्तोगी
अनु सचिव।

संख्या-12/2015/221(1)/84-1-15 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार ((लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार ((लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
7- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप कुमार रस्तोगी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन

(संदर्भः- बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे अनुदेशों को भली- भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-21 - खाद्य तथा रसद विभाग वित्तीय वर्ष 2014-15

(भारत सरकार द्वारा प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु आबंटन का प्रस्ताव) (धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान (विनियोग) (2-5)
1	2	3	4	5	6
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-03-महगाई भत्ता	146985	28690	380	380	146605

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियमन-04-राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन-42-02 मजदूरी	1050	1430	380	380	1430

(1) स्तम्भ-3 में बचतों का कारण संबंधित मदों में पदों का रिक्त होना है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित मद में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित धनराशि राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन के संचालन में आवश्यक मजदूरी भुगतान हेतु।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

कुलदीप कुमार रस्तोगी
अनु सचिव।
खाद्य एवं रसद विभाग।

संख्या- आर0ई0 559/ई-7-275/दस-2015 दिनॉक 27 मार्च, 2015

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

अरूण कुमार दुबे
अनु सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-12/2015/221(2)/84-1-15-18बामा/2012 दिनॉक 27 मार्च, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उ0प्र0, लखनऊ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप कुमार रस्तोगी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।